बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 वाके ग्राम गडूडा खाता सं0 93 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 मे अंकन किया है कि ख0न0 519, 520, 523, 524 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मै उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 16.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सभी पक्षकारान को नोटिस जारी कर सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 93 के आराजी खसरा नं0 519 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 523 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7208 भूमि वाके ग्राम गडूडा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकत है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार गा)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक बुवाई–जुताई नहीं करने देते है। आये दिन मेर–कोर को लेकर पक्षकारान् में विवाद का तनाजा बना हुआ है जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को जबरन सीमाओं को दबा रखा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है ताकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र उपतहसीलदार निमेड़ा के समक्ष पेश किया। उपतहसीलदार निमेड़ा के आदेश क्रमांक/भू.अ./23/372, दिनांक 30.05.2023 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06. 2023 को प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थीगण एवं गाँव के लोग व पडोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नही हुये। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 16. 06.2023 की आपत्ति अप्रार्थीगण ने आज तक नहीं की है बल्कि उक्त सीम्माज्ञान के मुताबिक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की तरफ निकलती है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.06.2023 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है। अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस में लडाई–झगडा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर है। उक्त आराजीयात् पर दिनांक 26.04.2024 को प्रार्थीगण अपनी भूमि की जुताई करने गये तो अप्रार्थीगण ने मेर–कोर को लेकर झगड़ा करने पर उतारू हो गए एवं जुताई करने में बाधा उत्पन्न की एवं ऐलानिया धमकी दी कि हम जबरन तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगें, तुम पत्थरगढ़ी करवा लो अन्यथा हम तुम्हारी जमीन को काश्त नहीं करने देगें। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी, व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढ़ेगी एवं अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सुनवाई का श्रीमान् को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई दिनांक 02.05.2025 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 35 बाद के विरूद्ध एकतरफ कार्यवाही अमल में लाई गई।

लगातार........................

22. भूरी पत्नी मांगीलाल
23. मंशा देवी पुत्री बालू
24. मांगीलाल पुत्र हरनाथ
25. रामजीलाल पुत्र सुरजकरण
26. रामराज पुत्र बालू
27. रामसहाय पुत्र घासी
28. श्योजीराम पुत्र रामजीवण
29. श्रवण पुत्र सुरजकरण
30. हनुमान पुत्र सुरजकरण
31. हरसहाय पुत्र घासी
32. हरिनारायण पुत्र रामजीवण
33. हंसा देवी पुत्री बालू

समस्त जातियान जाट, निवासीयान गडूडा, तहसील फागी, जिला दूदू, राज० ।

34. तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला दूदू।
35. उपतहसीलदार निमेड़ा, तह. फागी, जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री सीताराम सैनी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने

निर्णय दिनांक :— 16.05.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त खतौनी सं0 93 के आराजी खसरा नं0 519 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.[illegible]06 हैक्टेयर, खसरा नं. 523 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7208 भूमि वाके ग्राम गडूडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में पडोसी खातेदार है एवं ग्राम गडूड़ा की आराजी खसरा नम्बर 516, 518, 525/1, 525/2, 531, 522 के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 33 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेर—कोर को दबाते चले आ रहे है। आये दिन मेर—कोर की सीमाओं को लेकर लडाई झगडा करते रहते है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के रकबे को दबा रखा है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 519, 520, 523, 524, का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 16.06. 2023 को करवा लिया है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि [illegible]

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 47 / 2024
निर्णय दिनांक :– 16.05.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कन्हैयालाल पुत्र महादेव
2. नवरतन पुत्र महादेव
3. जीतराम पुत्र श्योजी
4. रामराज पुत्र श्योजी
5. सीताराम पुत्र श्योजी

समस्त जाति जाट, निवासी गडूडा, तहसील फागी, जिला दूदू, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रायचन्द
2. गोपाल पुत्र भूरा
3. गोपाली देवी पत्नी स्व. श्रवण
4. घासीलाल पुत्र भूरा
5. छीतर पुत्र रायचन्द
6. छोटी देवी पत्नी शंकरलाल
7. मीरा पत्नी रूपनारायण
8. राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्रवण
9. रामेश्वर पुत्र रायचन्द
10. शंकर पुत्र रूपनारायण
11. श्यो[illegible]राम पुत्र रामचन्द्र
12. सुरेश पुत्र रूपनारायण
13. सुवालाल पुत्र भूरा
14. हजारीलाल चौधरी पुत्र श्रवण
15. गोपी पुत्र लादू
16. ग्यारसी देवी पुत्री बालू
17. गुल्ला पुत्र छीतर
18. घीसी पत्नी रामजीवणा
19. ज्ञानी देवी पत्नी बालू
20. फोरंता देवी पुत्री बालू
21. बन्ना पुत्र सुरजकरण

लगातार.........

उपखण्ड अधिकारी
फागी